सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 07, मंगलवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 29, *2024* *Kartika 07, Tuesday, Saka 1946- October 29, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, सितम्बर 30, 2024

संख्या प. 2(53)वन/2024 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारी की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पुर्वोवत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन घर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आवेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है, कि उक्त रक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चुना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्नः- प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा			विवरण			
				दिशा	भूमि	खसरा न0	नाम ग्राम	खसरा न0	क्षेत्रफल (बीघा में)	क्षेत्रफल (है0मे)
1	रक्षित वनखण्ड कानपुरा	झालरापाटन	झालावाड़	उत्तर	ग्राम कानपुरा की राजस्व व खातेदारी भूमि	89,99	कानपुरा	332/96	60 बीघा 14 बिस्वा	9.71
				दक्षिण	वनखण्ड मशापलपुरा बी की वन भूमि	147				
				पूर्व	ग्राम कानपुरा की राजस्व भूमि की	94				
				पश्चिम	वनखण्ड मशालपुरा की वन भूमि	331/96				
योग									60 बीघा 14 बिस्वा	**9.71**

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

(दयाल पाटीदार) **(अभिमन्यू सहारण)**
क्षेत्रीय वन अधिकारी **उप वन संरक्षक (वन्यजीव)**
रेंज-गागरोन **मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा**

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - कानपुरा

में आने वाले पेडो की सुची

क्र.सं.	अन्तराष्ट्रीय (लेटीन) नाम	स्थानीय नाम
1	Acacia Nilotica	देशी बबूल
2	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
3	Ziziphus muaritiana	झाडी बेर
4	Balanities aegyptiaca	हिगोंट
5	Acacia leucophloea	रोंझ
6	Dalbergia sissoo	शीशम
7	Holoptelia integriolia	चुरेल

हस्ताक्षर

(दयाल पाटीदार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-गागरोन

हस्ताक्षर

(अभिमन्यू सहारण)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा

प्रमाण पत्र

जिला- झालावाड़
तहसील-झालरापाटन
रेंज-गागरोन
रक्षित वनखण्ड़-कानपुरा
ग्राम-कानपुरा

1. संलग्न प्रारूप मे दर्शायी वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण झालरापाटन में हवाई पट्टी के विस्तार के विरूद्ध प्राप्त गैर वन भूमि है जिसका वन विभाग के नाम अमलदरामद की जा चुकी है। भूमि की किस्म मु. जंगलात है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा 9.71 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कार्य करवा दिया गया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है
4. सीमावृति क्षेत्र की स्थिति खातेदारी, राजस्व व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्श संलग्न है। जिसमें खसरा न0 व रकबा दर्ज है। एवं जी.टी. शीट की छाया प्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सकें।
7. राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उपरोक्त वनखण्ड झालरापाटन में हवाई पट्टी के विस्तार में आयी वन भूमि के बदले आयी राजस्व भूमि जिसका अमलदरामद वन विभाग के नाम हो चुका है।
9. वनखण्ड के मध्य खसरां न0 95, 98 गैर मुमकिन देव स्थान व 97 बंजड स्थित है। जो कि वन खण्ड का हिस्सा नहीं है।
10. आज दिनांक 02.07.2024 तक इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है। एवं न ही प्रकाशन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

(दयाल पाटीदार) **(अभिमन्यू सहारण)**
क्षेत्रीय वन अधिकारी **उप वन संरक्षक (वन्यजीव)**
रेंज-गागरोन **मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।